02

अध्याय

राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा

सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पिछले तीन वर्षों में भारत की स्थूल आर्थिक स्थिरता का एक स्तंभ रहा है। इस सख्त व्यवस्था के आधार पर, सरकार ने राज्यों की भागीदारी में, दीर्घ प्रतीक्षित जीएसटी (माल एवं सेवा कर) युग की शुरूआत की। जीएसटी को व्यापक तैयारियों, परिकलनों और बहुआयामी परामर्शों के बाद लागू किया गया था, फिर भी, बदलाव के मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब यह है कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का सावधानीपूर्वक प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। सरकार परिवर्तन और चुनौतियों का पथ प्रदर्शन कर रही है, जिनमें यह संभावना भी शामिल है कि विगत माह के जीएसटी संग्रहों का अत्यधिक हिस्सा अगले वर्ष में जा सकता है। इस बीच, प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के अनुरूप रहने की आशा है तथा व्यय संबंधी योजनाएं व्यापक रूप से नियंत्रण में हैं।

2.1 चालू वर्ष में कर सुधारों को प्रवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त इस सुदृढ़ व्यवस्था को नीचे दिए गए रेखा चित्रों से समझा जा सकता है। राजस्व वृद्धि, व्यय गुणवत्ता, अंतरण और घाटे से संबंधित मुख्य राजकोषीय संकेतकों में पिछले तीन वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

चित्र 1 (क से ग) : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक

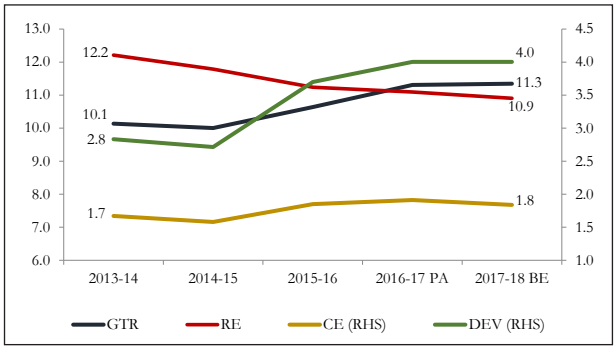

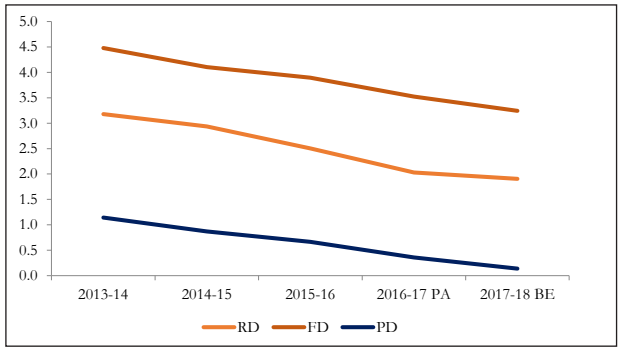

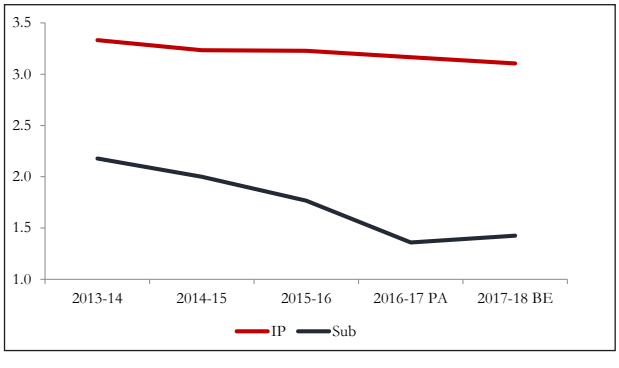

केंद्र द्वारा प्राप्तियों, व्यय तथा अंतरण संबंधी रूझानों और बजट अनुमान 2017-18 तक केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति से संबंधित विस्तृत चर्चा आर्थिक समीक्षा 2016-17 के खण्ड-2 में की गई थी इसलिए आगामी खण्डों में इससे बचने का पूरा प्रयास किया गया है। यहां पर मुख्यत: जिन रूझानों की चर्चा की गई है उनका संबंध मुख्यत: चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों से है।

स्रोत: सीजीए, लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार

जीटीआर=सकल कर राजस्व; आरई=राजस्व व्यय; सीई=कैपीटल एक्सपेंडीचर; (पूंजी व्यय); डीईवी=टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेटस (राज्यों के लिए कर हस्तांतरण) आईपी=इंटरेस्ट पेमेंट (ब्याज भुगतान); सब=सब्सिडीज (सब्सिडी); आरडी=रिवेन्यू डेफिसिट (राजस्व घाटा); एफडी=फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा); पीडी=प्राइमरी डेफिसिट (मूलघाटा); पीए=प्रोविजनल एक्चुअल्स (अनंतिम आंकड़े); बीई=बजट एस्टीमेट्स (बजट प्राक्कलन)

केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

क. प्राप्तियां

2.2 केंद्र सरकार के नवंबर 2017 तक के वित्तीय आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) से प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित तालिका के अनुसार नवंबर 2017 (सारणी 1) तक राजस्व के संबंध में तीन विशिष्ट स्वरूप देखने को मिले हैं जिनकी झलक केंद्र की गैर-ऋण प्राप्तियों से संबंधित रूझानों में दिखाई देती है। पहला रूझान तो यह है कि सकल कर संग्रहण पर्याप्त रूप से ट्रैक पर है। दूसरा रूझान यह है कि स्पेक्ट्रम संबंधी बोलियों में मुख्यत: मंदी की प्रवृत्ति के कारण गैर-कर राजस्व में स्पष्टत: अपेक्षित निष्पादन नहीं हुआ है। तीसरा रूझान यह है कि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यत: विनिवेश के कारण गतिमान हुई हैं और बेहतर कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष 16 विनिवेशों और बीमा कंपनियों के सूचीकरण से 17357.5 करोड़ रुपए शामिल है। इन प्राप्तियों से विनिवेश को आगे बढ़ाने, अर्थात् महत्वाकांक्षी बजट अनुमान, के लिए आशा की किरण दिखती है। विनिवेश संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीपीएसई में निवेश प्रबंधन हेतु किए गए उपाय परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं।

2.3 सारणी 1 के सांकेतिक रूझानों की पुष्टि सारणी-2 से होती है। सकल कर राजस्व और निवल कर राजस्व के अन्तर का मुख्य कारण राज्यों को करों का अधिक अन्तरण है। अप्रैल-नवंबर 2017 के दौरान राज्यों के करों का हिस्सा बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया जो कि निवल कर राजस्व से बहुत अधिक है, यही वह राशि है जिसे केन्द्र अपने स्वयं के करों में से खर्च करने के लिए प्रयोग कर सकता है। विनिवेश प्रक्रिया और गैर कर राजस्व परस्पर विरोधी वृद्धि स्वरूप को दर्शाते हैं। विनिवेश राजस्व की स्थिति

सारणी 1: अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियां

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(रु. लाख करोड़ में)			बजट प्राक्कलन का प्रति (पूरे वर्ष के लिए)		
सकल कर राजस्व	7.68	9.33	10.87	53.0	57.2	56.9
निवल कर राजस्व (केंद्र के लिए)	4.65	6.21	6.99	50.5	58.9	57.0
गैर कर राजस्व	1.73	1.75	1.05	78.1	54.2	36.5
राजस्व प्राप्तियां	6.38	7.96	8.05	55.9	57.8	53.1
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.21	0.33	0.62	25.8	48.5	73.3
गैर-ऋण प्राप्तियां	6.59	8.29	8.67	53.9	57.4	54.2

स्रोत: **लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार**

से 46,247 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, वर्ष 2017-18 के लिए 72,500 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का लक्ष्य है। इसमें से 46500 करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से रणनीतिक विनिवेश से 15000 करोड़ रुपए और बीमा कंपनियों के सूचीकरण से 11,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। लगभग 52,378.2 करोड़ रुपए की राशि अप्रैल-नवम्बर 2017 के दौरान अभी तक वसूल की जा चुकी है जिसमें 16 सीपीएसई में माइनोरिटी स्टेक बिक्री से 30,867.0 करोड़ रुपए, एसयूयूटीआई में रणनीतिक धारिताओं के विनिवेश से 4153.6 करोड़ रुपए को मजबूत बनाता है और गैर-कर राजस्व उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है।

2.4 केन्द्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि गत वर्ष की भांति ही रही है (चित्र-3)। इस बात पर विचार करते हुए कि आधे से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रहण सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अंतिम चार महीनों के दौरान प्राप्त होते हैं, (चित्र-2) चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित बजट लक्ष्य अभी भी पहुँच से दूर नहीं हैं (चित्र-3)। अतिरिक्त संसाधन (एआरएम) जुटाने से गत दो वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में उछाल आया था जिसका श्रेय उपभोक्ताओं के माध्यम से

सारणी 2: प्राप्तियों की मदों में वृद्धि (प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		अप्रैल-नवम्बर		
सकल कर राजस्व	6.5	20.8	21.5	16.5
निवल कर राजस्व	4.3	12.5	33.6	12.6
गैर कर राजस्व	20.5	34.9	1.0	-39.7
कुल राजस्व प्राप्तियां	7.8	17.8	24.8	1.1
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	-17.3	180.3	57.1	89.9
गैर ऋण प्राप्तियां	7.3	20	25.8	4.6

स्रोत : सीजीए, भारत सरकार

चित्र 2: प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में मासिक अंशदान* (प्रतिशत में): औसत 2014-15 से 2016-17

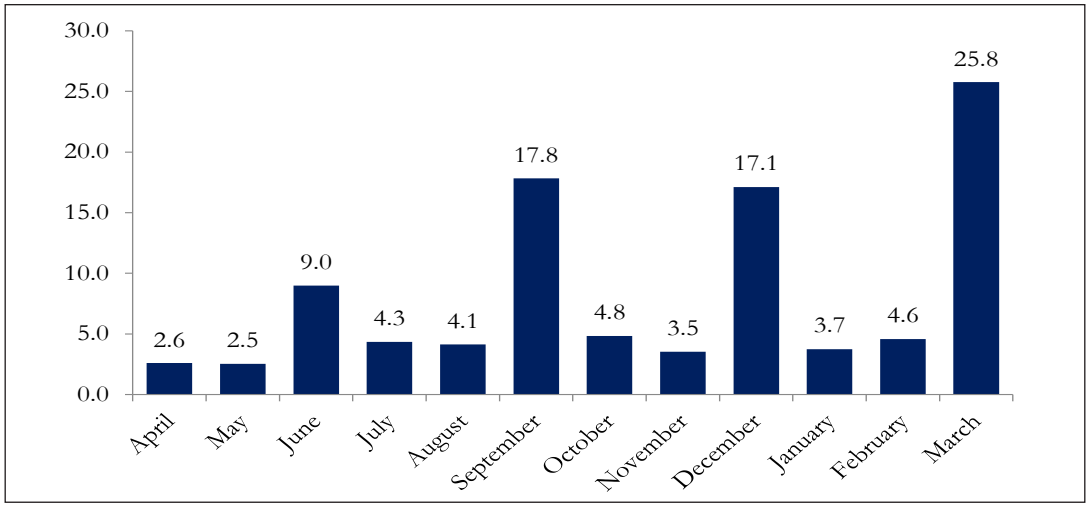

स्रोत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार

*** यहां पर जिन प्रत्यक्ष करों पर चर्चा की गई है उनमें केवल व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आय कर शामिल है**

पेट्रोलियम कीमतों और विकासात्मक निधियों संबंधी वृद्धि को जाता है। इस बात पर विचार करते हुए कि चालू वर्ष के दौरान में कोई उल्लेखनीय एआरएम उपाय नहीं किया गया है जिससे पहले आठ महीनों के दौरान अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि संतोषप्रद है। पूर्ण 2017-18 वर्ष के संबंध में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट में केवल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। अब तक 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों में अन्तिम परिणाम केन्द्र और राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर लेखाओं के

चित्र 3: केन्द्रीय करों में वृद्धि (प्रतिशत)

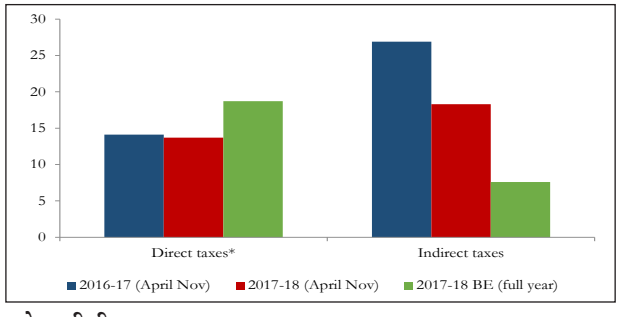

***स्रोत:* सीजीए, भारत सरकार**

*** यहां पर जिन प्रत्यक्ष करों पर चर्चा की गई है उनमें केवल व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आय कर शामिल है**

समाधान पर निर्भर करेगा और इसी प्रकार से केवल ग्यारह महीनों (आयातों से संबंधित आईजीएसटी को छोड़कर) के लिए करों की वसूली की जाएगी।

ख: व्यय एवं घाटा:

2.5 अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान केन्द्रीय सरकार का व्यय अत्यधिक तेजी से बढ़ा है (सारणी 3 एवं 4)। चालू वर्ष में बजट चक्र को लगभग एक माह पहले शुरू करना एक महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार रहा है। इससे एजेंसियों को वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से योजना बनाने और उसको शीघ्र लागू करने में आसानी होती है। इस दृष्टिकोण से इससे चालू वर्ष में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में तदनुरूप अवधि में अब तक घाटे में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है (सारणी 5)

2.6 निम्नलिखित सारणी 5 में देखी जाने वाली राजकोषीय एवं राजस्व घाटे की प्रवृत्तियाँ गैर-ऋण प्राप्तियों (ऊपर सारण ी 1 एवं 2 में यथाप्रदर्शित) और व्यय संबंधी स्वरूपों का संयुक्त प्रभाव हैं। व्यय की प्रारांभिक वृद्धि से भिन्न अप्रैल-नवंबर, 2017 के दौरान बजटीय लक्ष्य को पार कर जाने वाला राजकोषीय घाटा भी, विवेकशील व्यय प्रबंधन के भाग के रूप में किए गए कुछ व्यय की फ्रंट-लोडिंग के कारण हुआ है। इस बात के होते हुए भी, तालिका 5 यह दर्शाती है कि चालू वर्ष में प्रारंभिक आठ माह के दौरान राजस्व एवं राजकोषीय दोनों घाटे दबाव में थे और पूरे वर्ष के बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने के

सारणी 3: अप्रैल-नवम्बर के दौरान केन्द्रीय सरकार का व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(रुपये लाख करोड़ में)			बसंत प्राक्कलन का प्रतिशत		
कुल व्यय	11.42	12.87	14.79	64.3	65.0	68.9
राजस्व व्यय	9.83	11.44	12.95	64.0	66.1	70.5
पूंजीगत व्यय	1.59	1.42	1.84	65.8	57.7	59.5

स्रोत: सीजीए, भारत सरकार

सारणी 4: व्यय के मदों में वृद्धि (प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	अप्रैल-नवम्बर			
कुल व्यय	5.2	6.3	12.6	14.9
राजस्व व्यय	6.4	3.2	16.4	13.1
पूंजीगत व्यय	-3.2	30.8	-10.4	29.3

स्रोत: सीजीए, भारत सरकार

सारणी 5: अप्रैल-नवंबर के दौरान केन्द्रीय सरकार के घाटे के संकेतक

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	(लाख करोड़ रु.)			बजट प्राक्कलन का प्रतिशत		
राजस्व घाटा	3.45	3.48	4.90	87.5	98.6	124.9
राजकोषीय घाटा	4.84	4.58	6.12	87.0	85.8	112.0

स्रोत: सीसीए, भारत सरकार

चालू वर्ष के किसी भी मध्यवर्ती बिन्दु पर बजट प्राक्लन के प्रतिशत और इसकी वृद्धि दरों, दोनों ही मामले में व्यय संबंधी प्रवृत्तियों की पूर्ववर्त्ती वर्षों की प्रवृत्तियों से तुलना नहीं हो सकती (सारणी 3 एवं 4)।

लिए चिह्नित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2.7 राजस्व व्यय में संचलनों को, ब्याज संदाय देयताओं और सब्सिडी संदायों में परिवर्तनों द्वारा व्यापक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है (सारणी 6) अप्रैल-नवंबर, 2017 के दौरान ब्याज संबंधी देयताओं में संयत रूप में वृद्धि हुई है और इसका संभावित कारण नोटबंदी के बाद अत्यधिक तरलता को कम करने के लिए जारी बाजार स्थिरीकरण बॉण्ड्स की व्यवस्था संबंधी निर्गमों का होना है। खाद्य सब्सिडी में केवल मध्यम वृद्धि हुई है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के यथोचित प्रबंधन तथा खाद्यान्नों के प्रबंधन (उठाई-धराई) संबंधी आर्थिक लागत को नियंत्रित रखे जाने के कारण संम्भव हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से होने वाली हानि के साथ, पेट्रोलियम सब्सिडी को सुदृढ़ किया गया है। समग्र रूप में विभिन्न तरह की सब्सिडी प्राय: नियंत्रण में और लक्ष्य के भीतर हैं। सातवें वेतन आयोग के तहत वर्धित भुगतानों को परिलक्षित करने वाले, प्रथम आठ माह के दौरान पेंशन पर होने वाले व्यय में अत्याधिक वृद्धि हुई है।

राज्य और केन्द्र सरकार

2.8 चित्र 4 और सारणी 7 दर्शाता है कि राज्य सरकारों ने, पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान अपने राजकोषीय संतुलनों में

सारणी 6: राजस्व व्यय के कुछ मुख्य घटक

	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
	अप्रैल-नवम्बर (बजट आकलन का प्रतिशत)			अप्रैल-नवम्बर (प्रतिशत वृद्धि)		
ब्याज भुगतान	55.4	54.1	59.2	8.6	5.6	16.2
खाद्य सब्सिडी	81.4	91.3	93.1	11.1	21.6	9.9
उर्वरक सब्सिडी	85.4	79.7	70.5	7.6	-10.5	-11.5
पेट्रोलियम सब्सिडी	82.6	65.2	85.7	-46.6	-23.8	13.3
प्रमुख सब्सिडी	82.9	85.3	85.7	-3.6	5.0	4.2
वेतन एवं पेंशन	52.9	52.5	61.6	3.2	28.5	22.5

स्रोत : सीजीए, भारत सरकार

चित्र 4: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों(*) का राजकोषीय घाटा:

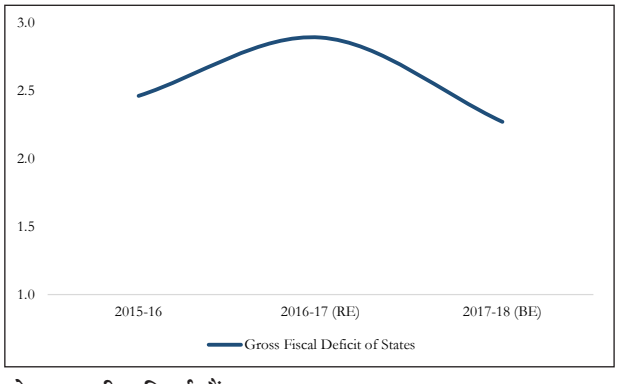

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक;
***टिप्पणी: घाटे से संबंधित आंकड़े केवल 26 राज्यों के हैं: आरई=संशोधित आकलन; बीई=बजट आकलन**

'उदय' (यूडीएआई) के कारण होने वाले विपथन के बाद, चालू वर्ष में समेकन को लक्षित किया है। उदय बॉण्ड्स का वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में राज्य घाटे पर क्रमश: जीडीपी के 0.5 और 0.6 प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है।

2.9 21 राज्य सरकारों जिनकी भागीदारी कुल जीएसडीपी का लगभग 86 प्रतिशत है और जिनके लिए तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध हैं की स्थिति दर्शाती है कि वृद्धि और समनुरूपी बजट प्राक्लन के मामले में उनकी राजस्व प्राप्तियों का तालमेल विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के अनुरूप है। इसके अलावा, समनुरूपी बजट प्राक्लन (चित्र 5) के प्रतिशत के रूप में 23 राज्यों के राजस्व और वित्तीय दोनों ही घाटों के आँकड़े दर्शाते हैं कि विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के आँकड़ों का प्रतिशत कम है (चित्र 6)।

2.10 चालू और विगत वर्ष की अप्रैल-दिसम्बर की अवधि

तालिका 7: केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था (जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17 (सं. आकलन)	2017-18 (बजट आकलन)
कर प्राप्तियां	8.3	8.6	8.9
राज्यों के अपने कर राजस्व	5.3	5.5	5.6
गैर-कर प्राप्तियां	2.9	3.7	3.7
पूंजीगत प्राप्तियां	14.3	15.9	16.0
राजस्व संविरण	11.3	12.6	12.5
पूंजी संविरण	3.0	3.3	3.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: आर.ई.: संशोधित प्राकलन; बीई: बजट प्राकलन; आंकड़े 26 राज्यों के हैं।

के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई रिपोर्ट (5 जनवरी, 2018 की प्रैस विज्ञप्ति) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया उधार जीडीपी के 2.1 प्रतिशत के बराबर है (प्रत्येक का क्रमश: उधार 2493. 0 बिलियन और 2351.6 बिलियन)। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी द्वारा बाज़ार से उधार की प्रमात्रा चौथी तिमाही के दौरान 1,262.0 बिलियन और 1382.0 बिलियन के बीच होने की संभावना है। इसका अभिप्राय यह है कि ये 2017-18 के लिए एक साथ लाए गए राज्य जी.डी.पी. के राजकोषीय घाटे (चित्र 4) के लक्षित स्तर के निकट होगा, यदि चतुर्थ तिमाही में ऋण की योजना का पालन किया जाता है यदि वित्तपोषण के किसी अन्य साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

2.11 जीडीपी को 0.3 प्रतिशत प्वाइंट कम करते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के वर्ष 2017-18 (चित्र 4) के लक्ष्य के साथ युग्मित, इसका यह अभिप्राय है कि राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में मध्यम सुधार में दबाव के कारण संवर्धित चालू वर्ष में इसकी राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार करना केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य है। (चित्र 7 तथा सारणी 8)

2.12 कुल मिलाकर, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि

चित्र 5: अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ

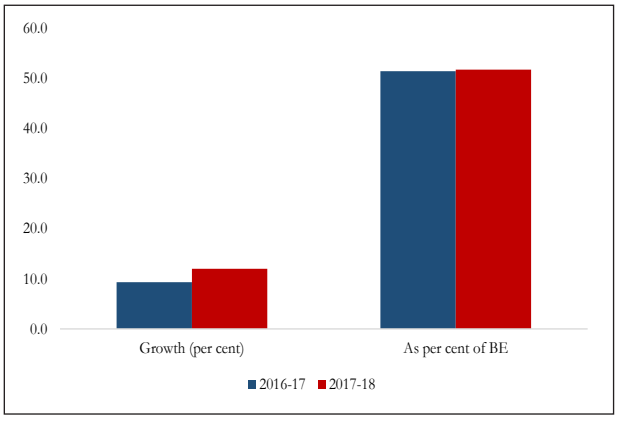

स्रोत: सी.ए.सी.

नोट : सूचना 21 राज्यों से संबंधित है

चित्र 6: अप्रैल-नवंबर के दौरान बजट अनुमान के % के रूप में घाटे

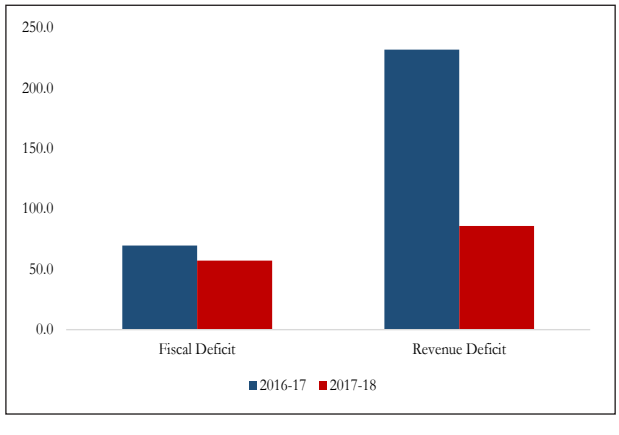

स्रोत: सी.ए.सी.

नोट : सूचना 23 राज्यों से संबंधित है

सारणी 8: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संविवरण (जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17 (RE)	2017-18 (BE)
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	18.3	20.5	20.6
कर राजस्व	15.2	15.9	16.1
गैर कर राजस्व	2.7	4.3	3.8
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.4	0.4	0.7
कुल संवितरण	24.7	26.9	26.1
राजस्व	20.5	22.5	21.7
पूंजी (*)	4.2	4.4	4.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय बजट 2017-18

नोट : आर.ई.: संशोधित प्राक्कलन, बीई: बजट प्राकलन, डाटा अनंतिम है और 26 राज्यों (*) के बजट से संबंधित है। पूंजी संवितरणों में सार्वजनिक लेखा शामिल नहीं हैं, किन्तु इसमें ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चित्र 7: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार(*) का राजकोषीय घाटा:

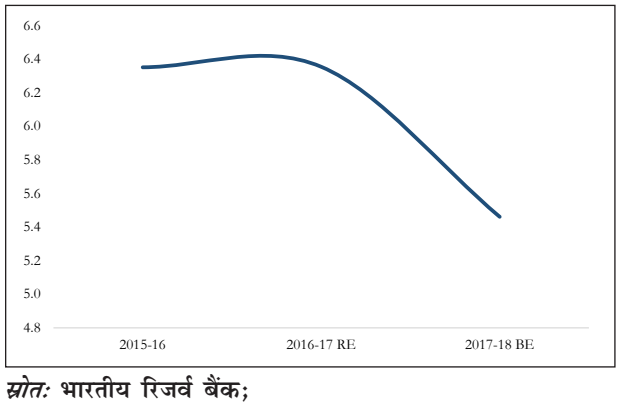

***स्रोत:* भारतीय रिजर्व बैंक;**
****टिप्पणी:* घाटे से संबंधित आंकड़े केवल 26 राज्यों के हैं: आरई=संशोधित आकलन; बीई=बजट आकलन**

जी.एस.टी. से सरकार को कितने अनुमानित राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, बजट अनुमान की तुलना में राजकोषीय जमाशेष चतुर्थ तिमाही में राजस्व व्यय के उभरते हुए स्वरूप और बैंकों के पुन: पूंजीकरण में सरकार की देयताओं पर निर्भर करेगा। जी.एस.टी. लागू करने से संबंधित जटिलताओं पर विचार करते हुए यह प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रारंभिक चरण को उचित रूप से शुरू कर रही है। कई अंशाकन के उपायों, जिसमें कर की दरों में संशोधन करना शामिल है, के माध्यम से करदाताओं के विभिन्न वर्गों की कठिनाइयों का निवारण किया जा रहा है, जिसकी चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है।

परिशिष्ट 1

वर्ष 2017-18 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां

क. 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन

- तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ओ क्जाइलीन वनस्पति चर्म शोधन सार, निकल, मध्यम गुणवत्ता के टेरेप्थैलिक अम्ल और क्वालीफाइड टेरेप्थैलिक अम्ल, कुछ खास विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रयोग के लिए हॉट रोलित कोइलों, पोलि कार्बोक्सीलेट ईथर के निर्माण के लिए विनाइल पोलिथिलेन ग्लाइकोल, विनिर्दिष्ट प्रिन्टरों के निर्माण के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियों, स्याही कारट्रिज, स्याही स्प्रे नॉजल, सेलूलर मोबाइल फोनों और बेस स्टेशनों, सोलर शेलों/पैनलों/मापांकों के निर्माण के लिए सोलर मंदित शीशा, विनिर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए रेसिन एवं उत्प्रेरक, एलईडी लैम्प सहित एलईडी लाइटों या स्थिरकों के निर्माण के लिए सभी पुर्जों आदि जैसे आदानों और कच्ची सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क को कम किया गया था।
- मूल सीमा शुल्क महत्वपूर्ण मात्रा में स्थानीय रूप से निर्मित विनिर्दिष्ट सामग्रियों पर बढ़ाया गया था जिनमें मानव निर्मित फाइबरों पर फैब्रिक्स की 298 मदों पर मूल्यानुसार घटक, विनिर्दिष्ट दूरसंचार ग्रेड ऑप्टीकल फाइबर केबिलों के निर्माण के लिए को-पोलिमर कोटित एमएस स्टील टेप/स्टेनलैस स्टील टेप, विनिर्दिष्ट प्रिंटर, स्याही कारट्रिज, स्याही स्प्रे नॉजल, सेलूलर मोबाइल फोन और उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे, बेस स्टेशन, माइक्रोवेव, ओवन, टेलीविजन, एलईडी लैम्प, विनिर्दिष्ट लैम्प और लाइट फिटिंग, वीडियो रिकार्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग उपकरण, विद्युत मीटर, टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर, एलसीडी, एलईडी अथवा टेलीविजन के निर्माण के लिए ओएलईडी पैनल, घरेलू किस्म के फिल्टरों के लिए आरओ झिल्ली तत्व, काजू आदि भी शामिल हैं।
- अन्य एल्यूमीनियम अयस्कों, लेटराइट सहित, पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया था।
- किसानों और कृषि उत्पादों के स्थानीय उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए, खाद्य ग्रेड के कच्चे और परिष्कृत ताड़ के तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, खाद्य ग्रेड के परिष्कृत सूरजमुखी तेल, कच्चे एवं परिष्कृत सोयाबीन तेल, कैनोला तेल, सरसों तेल और कोल्जा तेल सहित कच्चा और परिष्कृत रेपसीड तेल पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की गई थी।

ख. जीएसटी की शुरूआत

ऐतिहासिक कर सुधार में, लगभग सभी मुख्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट (वीएटी), सीएसटी, मनोरंजन कर, चुंगी विलास कर, उपकरों/उपप्रभारों की बड़ी संख्या और माल और सेवाओं पर विविध अन्य राज्य और केंद्रीय उदग्रहणों को सम्मिलित करते हुए पहली जुलाई, 2017 से माल और सेवाकर लागू किया गया।

क. जीएसटी के तहत समस्याओं को दूर करना

व्यापार प्रक्रियाओं (यथा प्रवास, पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना और पार्टल पर धन की वापसी) जीएसटी दरों, अनुपालन में एमएसएमई सेक्टर के समक्ष आने वाली समस्याओं, धन वापसी में विलंब के कारण निर्यातकों के नकद प्रवाह मुद्दों से सम्बद्ध हितधारकों द्वारा प्रश्न उठाए गए। आईटी मुद्दों पर परामर्श करने के लिए, जीओएम (मंत्रियों का समूह) का गठन किया गया जिसने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। अन्य जीओएम ने एमएसएमई के मुद्दों पर विचार किया। निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान के लिए निर्यात से संबंधित समिति का गठन किया गया। दरों में महत्वपूर्ण यौक्तिकरण की जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसा की गई है। कर ढ़ांचे को सरल और कारगर बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता का एकल इंटरफेस (या तो केंद्रीय अथवा राज्य कर प्राधिकरण) हो, इसके लिए गहन कवायद की गई। अधिकारियों की समितियों ने विधिक और कार्यवाही तथा हस्तकला जैसे क्षेत्रीय मुद्दों की जांच की। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए बहुत से प्रकार्यात्मक परिवर्तन किए गए हैं। करदाताओं को शिक्षित करने और, जानकारी की भागेदारी के माध्यम से सुविधाएं देने के लिए, सूचना के प्रसार और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हुए गहन प्रयास किए गए। इन प्रयासों के कारण जीएसटी कार्यान्वयन सरल हुआ है और इसे और अधिक सरल बनाने के लिए आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. जीएसटी को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदम

I. **माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद संस्थाओं के छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार करना आसान हुआ है।** 20 लाख रुपये तक की कुल कारोबार की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्यत: संयोजन के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये (जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए रुपए 75 लाख) कर दिया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से संबंधित अन्य सुधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

* ऐसे सेवा प्रदाता जिनका कुल वार्षिक कारोबार रु. 20 लाख (जम्मू-कश्मीर के अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए रु. 10 लाख) से कम है, को पंजीकरण से छूट प्रदान की गई थी। यदि सेवा प्रदाता सेवाओं का अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति कर रहा है, तो भी उक्त छूट रु. 20 लाख के कारोबार पर जारी रहेगी। इस उपाय से लघु सेवा प्रदाताओं की अनुपालन लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

---

* इस परिशिष्ट में उल्लिखित उपाय और दर परिवर्तन का उल्लेख सामान्य पाठकों के लिए ही है और करदाताओं के लिए इनकी कोई उपादेयता नहीं होगी।

* 1.5 करोड़ रुपये तक का कुल वार्षिक कारोबार करने वाले लघु और मध्यम कारोबारियों को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। (अन्य करदाताओं को मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी)

* सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के भाग 9 के उप-भाग (4) के अधीन और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के भाग 5 के उप-भाग (4) के अधीन प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) को 31.3.2018 तक निलंबित कर दिया गया।

* प्राप्त किए गए अग्रिमों पर जीएसटी भुगतान से संबंधित अनिवार्यता लघु डीलरों और विनिर्माताओं के लिए बोझिल सिद्ध हो रही थी। इस मद में उनकी असुविधा को कम करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि रुपये 1.5 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति के मद में प्राप्त हुए अग्रिमों पर जीएसटी भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

ii माल के लिए जीएसटी दर संरचना को तर्क संगत बनाना:-

जीएसटी के लागू होने के बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए दरों को तर्क संगत बनाया गया। जीएसटीएससी परिषद ने 10 नवम्बर, 2017 को अपनी एक बैठक में प्रमुख निर्णय लिए जो इस प्रकार हैं:-

28% से 18%:- 28% जीएसटी निर्धारित माल (वस्तुओं) के 228 टैरिफ शीर्षकों की सूची में पर्याप्त कमी करते हुए (4 डिजिट के कुल टैरिफ शीर्षकों का लगभग 18.5%) केवल 50 टैरिफ शीर्षक रखे गए, जिनपर कर को 18% (4-डिजिट के कुल टैरिफ शीर्षकों का लगभग 4%) तक कम किया गया। जिन मदों के संबंध में शुल्कों में कमी की गई वे हैं:- तार, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेट्रिकल कनेक्टर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, पैनल, कंसोल, विद्युत नियंत्रण या वितरण के लिए कैबिनेट आदि, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड और प्लाईवुड, लकड़ी का सामान, काष्ठ फ्रेम, खड़ंजा लगाने वाले ब्लॉक, फर्नीचर, मैट्रेस, बेडिंग एवं बेडिंग संबंधी अन्य फर्नीशिंग, ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, ब्रीफकेस, ट्रेवलिंग बैग व अन्य हैंड बैग, आवरण (केस); डिटरजेंट, वाशिंग एवं क्लीनिंग निर्मितियां, त्वचा की सफाई के लिए लिक्विड या क्रीम, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाई (नैचुरल, हर्बल या सिंथेटिक) एवं इस तरह की अन्य चीजें, हिना पाउडर या पेस्ट जिसमें कोई अन्य अवयव न मिला हो, प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव निर्मितियां, पर्सनल डियोड्रेंट, बाथ प्रीपेयरेशंस, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक या टॉयलेट निर्मितियां, रूम डियोड्राइजर्स, परफ्यूम और टॉयलेट वाटर्स, ब्यूटी या मेक-अप निर्मितियां, फैन, पंप, कम्प्रेसर, लैम्प और लाइटफिटिंग; प्राइमरी सेल एवं प्राइमरी बैटरियां, सैनिट्रीवेयर एवं इसके सभी प्रकार के पार्ट्स, प्लास्टिक की वस्तुएं, फ्लोर कवरिंग, बाथ, शॉवर, सिंक, वाशबेसिन, सीट्स, प्लास्टिक का सेनेट्री वेयर, मार्बल एवं ग्रेनाइट के स्लैब, मार्बल व ग्रेनाइट की वस्तुएं जैसे कि टाइलें आदि, सभी प्रकार की सिरेमिक टाइलें, चॉकलेट, च्युइंगम/बबलगम

18% से 12%:- वर्गीकरण संबंधी विवादों के न्यूनीकरण के लिए, निम्नलिखित माल पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया:-कंडेंस्ड मिल्क, रिफाइंड शुगर व शुगर क्यूब्स, पास्ता, करी पेस्ट, मेयोनीज एवं सलाद ड्रेसिंग, मिक्स्ड कंडीमेंट्स और मिक्स्ड सीजनिंग, डायबिटिक फूड, औषधीय श्रेणी की ऑक्सीजन, मुद्रण स्याही, जूट और कॉटन के हैंड बैग और शॉपिंग बैग, हैट/टोपियां (बुनी हुई या क्रोशेटेड), कृषि, बागवानी, वानिकी, हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीनरी के विनिर्दिष्ट पुरजे, सिलाई मशीन के विनिर्दिष्ट पुरजे, चश्मे के फ्रेम, बांस या केन से पूर्णत: निर्मित फर्नीचर।

18% से 5%:- अरवा चावल की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, रेवड़ी, तिल रेवड़ी, खाजा, कजौली, मूंगफली का मीठा गट्टा, कुलिया, ब्रांड नाम वाले यूनिट कंटेनर में बंद आलू का आटा, चटनी पाउडर, फ्लाई ऐश, कच्चे माल के शोधन में प्रयुक्त गंधक, कुल 90 प्रतिशत अथवा अधिक फ्लाई ऐश युक्त फ्लाई ऐश समग्र।

12% से 5%:- सूखा नारियल, सूती निवाड़ सहित बारीक बुना कपड़ा (प्रयुक्त न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी नहीं) इडली-डोसा घोल, शोधित चमड़ा, सांभर चर्म तथा मिश्रित चमड़ा, जूट के जहाजी रस्से तथा रस्सियां, जूट की सुतली, जूट के उत्पाद, मछली पकड़ने का जाल तथा कांटे, पुराने कपड़े, फ्लाई ऐश की ईंटें।

5% से शून्य:- ग्वार भोजन, होप भुट्टा (बिना पिसा, चूर्ण अथवा गोलियों से भिन्न), कतिपय सूखी सब्जियां जैसेकि शकरकंद, गूदे रहित नारियल का खोपड़ा, फ्रोजन अथवा सूखी मछली (ब्रांड नाम वाले डिब्बे में न रखी गई हो), खांडसारी बूरा खांड।

वस्तु एवं सेवाकर दरों में अन्य उल्लेखनीय तार्किक उपाय: धूपबत्ती, धूप, संभरणी तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवाकर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5% किया गया, खादी वस्त्रों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की दुकानों के माध्यम से की गई खरीद और ऐसी ही अन्य मदों पर वस्तु एवं सेवाकर को 5% से घटाकर शून्य किया गया, हस्त शिल्प पर सेवा एवं वस्तुकर को 28 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत किया गया, सिंथेटिक धागे पर सेवा एवं वस्तुकर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया, प्लास्टिक, काँच, कागज अथवा रबर स्क्रैप पर वस्तु एवं सेवाकर को 18% से घटाकर 5% किया गया; ई-कचरे पर वस्तु एवं सेवाकर को 18% से घटाकर 5% किया गया।

iii सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवाकर दर की तर्क संगतता।

18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत:-निर्माण कार्य संविदा सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति: (क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा निर्माण अथवा उत्थापन, स्थापना, संस्थापना, पूर्णता, फिटिंग, मरम्मत, अनुरक्षण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन संबंधी कार्य करने वाली सरकारी संस्था; (ख) ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल अथवा राष्ट्रीय महत्व के खंडहर, पुरातात्विक खुदाई, अथवा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं खंडहर अधिनियम 1958 (1958 का संख्यांक 24) के अन्तर्गत विहित प्राचीन धरोहर; (ग) नहर बांध अथवा अन्य सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य; (घ) (i) जलापूर्ति (ii) जलशोधन अथवा गंदे पानी के शोधन अथवा निपटान के लिए पाइप लाइन अथवा कंड्यूट

पाइप अथवा संयंत्र; (ङ) मुख्यत: वाणिज्य, उद्योग अथवा किसी अन्य व्यवसाय अथवा पेशे से भिन्न उपयोग के लिए सिविल ढांचे अथवा किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य; (च) मुख्यत: शैक्षिक, क्लिनिकल अथवा कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना संबंधी ढांचा; (छ) मुख्यत: मृदा संबंधी कार्य जिसमें भू निर्माणकार्य संविदा के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक है;

(क) सड़क-पुल, सुरंग अथवा आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सड़क परिवहन के लिए टर्मिनल; (ख) किसी कारखाने के भाग के रूप में स्थित व्यवस्था को छोड़कर कोई प्रदूषण नियंत्रण अथवा अपशिष्ट शोधन संयंत्र; अथवा– (ग) श्मशान, कब्रिस्तान अथवा अंतिम संस्कार संबंधी भवन के निर्माण, उत्थापन, शुरू करने/स्थापित करने, पूरा करने, फिटिंग करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, जीर्णोद्धार करने अथवा परिवर्तन करने के लिए आपूर्ति।

(क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो के अलावा; (ख) कृषि उत्पादों के लिए कटाई पश्चात् भंडारण जिसमें ऐसे प्रयोजनार्थ कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है; (ग) शराब के अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में कृषि उत्पाद संबंधी प्रसंस्करण इकाईयों के लिए मशीनीकृत अनाज हैण्डलिंग प्रणाली, मशीनरी अथवा उपकरण से संबंधित निर्माण कार्य, उत्थापन, शुरू करने अथवा मूल निर्माणकार्य की स्थापना करने के लिए आपूर्ति।

तटीय आधार रेखा के निकटतम बिन्दु से 12 समुद्री मील से आगे के अपतटीय क्षेत्र में तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एवं पी) के लिए अपतटीय निर्माण कार्य संविदा से संबंधित संगत सेवाएं।

- छाता विनिर्माण से संबंधित सेवा कार्य के तौर पर प्रदत्त सेवाएं; अध्याय 48 या 49 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे समस्त माल का मुद्रण, जिसमें @ 6% सी.जी.एस.टी. लगाया जा सकता है।
- यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए मोटर वाहन द्वारा किए जाने वाले परिवहन में, जहां ईंधन की लागत सेवा प्रापण से लिए जाने वाले प्रभारित शुल्क में शामिल है।
- यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए मोटर वाहनों को किराये पर लेने में, जहां ईंधन की लागत सेवा प्रापण से लिए जाने वाले प्रभारित शुल्क में शामिल है।
- पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैसों का परिवहन।
- वस्तुओं के परिवहन से संबंधित वस्तु परिवहन एजेंसी (जी.टी.ए.) के द्वारा की जाने वाली सेवा (जो आगे के प्रचार के लिए जी.टी.ए. के विकल्प को स्वीकार करते हैं)।

12 प्रतिशत की प्रभावी दर को 8 प्रतिशत तक घटा देना: भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्सों में संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्य सेवा की संयुक्त आपूर्ति।

- (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना के अधीन योजनाओं से संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य; (ख) केवल बस्तियों के मौजूदा निवासियों के संबंध में सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करके बस्तियों के मौजूदा निवासियों के स्वस्थानी पुनर्वास'' से संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य; (ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''लाभार्थी आधारित वैयक्तिक गृह निर्माण/संवृद्धि'' में संबंधित सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य के निर्माण, परिनिर्माण, कंडीशनिंग, अधिष्ठापन, फिलिंग, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन से संबंधित आपूर्ति।

(क) आवासीय परिसर के एक भाग के रूप के अलावा एक एकल आवासीय यूनिट (ख) भारत सरकार के आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित 'वहनीय आवासन साझेदारी स्कीम' के अधीन अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन परियोजना में 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया तक प्रति आवास के निम्न लागत वाले मकान (1) सभी (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवासन के घटक ''वहनीय आवासन साझेदारी'' (2) राज्य सरकार के किसी आवासन स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन योजना में प्रति आवास 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया तक निम्न लागत वाले मकान से संबंधित निर्माण, अभिभाव, चालू करने अथवा अधिष्ठापन के रूप में आपूर्ति की गई संविदा से सेवाएं।

- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की अनुसूची III के पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट स्वयं के इस्तेमाल और इनके कर्मचारियों के इस्तेमाल अथवा अन्य व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट आवासीय परिसर के निर्माण, अभिभाव, चालू करने; अधिष्ठापन, पूर्तिकरण फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण अथवा परिवर्तन के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था के लिए।

18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना

- सीटीए की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अधीन आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद, अध्याय 48 अथवा 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 2.5 प्रतिशत अथवा शून्य की दर से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर लगता है, सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद,

सीटीए के प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद के संबंध में ठेके के काम कार्य के रूप में अन्य सेवाएं इसमें उक्त अध्याय के टैरिफ मद 23091000 के अधीन आने वाले फुटकर बिक्री के लिए कुत्ते और बिल्लियों के खाद्य पदार्थ, सीटीए के प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 69010010 के अधीन आने वाले मिट्टी की ईंटों का निर्माण, हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण शामिल नहीं है।

- **आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत से आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत तक कमी :** ऐसे रेस्टोरेंट द्वारा सेवा की आपूर्ति, जो होटल, जिसमें 7500 रुपए से अधिक घोषित टैरिफ के साथ आवास की यूनिट है, के परिसर में स्थित नहीं है, पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन।

कारोबार की उसी लाइन में आईटीसी की अनुमति निम्नलिखित को दी गई: यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए किसी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों के परिवहन जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रभार में शामिल है; यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए किसी मोटर वाहन को किराए पर देना जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रभार में शामिल है;

जीएसटी की दरों को अन्य रूप में सरल एवं कारगर बनाना: 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदे गए और पट्टे पर लिए गए मोटर वाहनों को पट्टे पर लिए जाने के संबंध में जीएसटी की दर को सामाग्रियों की हकदारी के अन्तरण से संबंधित जैसी सामाग्रियों की आपूर्ति पर यथा लागू केन्द्रीय कर की दर को घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया।

जीएसटी लगाने से छूट

- भारत में मेजबानी किए गए फीफा अण्डर 17 विश्व कप के किसी भी क्रियाकलापों से संबंधित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबाल एसोसिएशन (फीफा) द्वारा और उसको प्रदान की गई सेवाएं।
- नेपाल और भूटान (भूमि से घिरा देश) को (ट्रांजिट कार्गो) से संबंद्ध सेवाओं की आपूर्ति।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण से अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि में से सरकारी संस्था द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा आपूर्ति।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र को उचित दर के दुकानों द्वारा कमीशन या मार्जिन के रूप में प्रतिलाभ के बदले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि की बिक्री के रूप में दी जाने वाली सेवा।
- माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी अपंजीकृत व्यक्ति जिसमें निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं से इतर अपंजीकृत नेमित्तिक कर योग्य व्यक्ति भी शामिल है, द्वारा दी जाने वाले सेवाएं, यथा; कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) द्वारा शासित अथवा इसके तहत पंजीकृत कोई कारखाना; अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत भारत के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत कोई सोसाइटी; अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत अथवा उसके द्वारा स्थापित कोई कॉरपोरेट निकाय; अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम अथवा समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, अथवा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई नैमित्तिक कर योग्य व्यक्ति।
- वर्षिकी के भुगतान पर किसी सड़क या पुल तक पहुँच देने के रूप में दी जाने वाली सेवा।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य अधिनियम के तहत इस प्रकार संरक्षित के रूप में घोषित स्मारक में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा
- फीफा, अंडर-17 विश्व कप-17 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी गई सेवा।
- 18 जनवरी, 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में माल और सेवाओं पर जीएसटी की दरों के संबंध में अनेक राहत उपायों की घोषणा की गई तथा कुछ माल और सेवाओं की जीएसटी की दरों और कर योग्यता संबंधी विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण दिए गए।

  परिषद द्वारा संस्तुत माल की दर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- विशेषरूप से बायो ईंधन से चलने वाली बसों पर 28% से 18%
- ड्रिप सिचाई पर 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत इसमें लेटरल (एचएस कोड 8424), स्प्रिंकलर (एचएस कोड 8424), मैकेनीकल स्प्रेयर (एचएस कोड 8424), 12 विनिर्दिष्ट जैव कीटनाशक (एचएस कोड 3808), बैम्बू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी (एचएस कोड 4418), फर्टिलाइजर ग्रेड फास्फोरिक एसिड (एचएस कोड 2809), जैव डीजल, 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पेय जल (एचएस कोड 2201), शामिल है।
- हीरों और बहुमूल्य रत्नों पर 3% से 0.25%
- अपरिष्कृत हीरों और बहुमूल्य रत्नों पर यह पहले ही 0.25% है।
- ऐसे वाहनों के आपूर्तिकार के मार्जिन पर प्रयुक्त मोटर वाहनों पर (मध्यम और बड़ी कारों तथा एसयूवी के अलावा) 28% जीएसटी एवं लागू

उपकर से 12%, इस शर्त के अधीन कि इन पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धित कर या जीएसटी का कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है।

- प्रयुक्त मध्यम और बड़ी कारों तथा एसयूबी पर ऐसे वाहनों के आपूर्तिकारों के मार्जन पर 28% जीएसटी एवं लागू उपकर से 18%, इस शर्त के अधीन कि इन पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धित कर या जीएसटी का कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है।
- वेलवेट फैब्रिक (एचएस कोड 58013720), अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापसी के बिना, 12% से 5% सेवाओं की दर में संस्तुत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है:
- मैट्रो और मोनोरेल परियोजनाओं के निर्माण (निर्माण, उन्निर्माण, प्रवर्तन या मूल कार्य का अधिष्ठापन) जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% की गई।
- पेट्रोलियम, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (एमएस, एचएसडी एटीएफ) के परिवहन पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5%, आईटीसी के बिना तथा 12% आईटीसी के साथ।
- अधिसूचना संख्या 12/2017 – सीटी (दर) की क्रम सं. 35 और 36 के अधीन छूट प्राप्त बीमा स्कीमों के संबंध में दुबारा बीमा सेवाओं को छूट (यह अपेक्षित है कि भावी बीमा के संबंध में सरकार बीमित व्यक्ति से निर्धारित प्रीमियम राशि कम कर दी गई है)
- पेट्रोलियम, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संबंधी खुदाई और इसका पता लगाने संबंधी सेवाओं के संबंध में और उक्त माल के संबंध में खुदाई की सेवाओं के लिए जीएसटी को घटाकर 12% किया गया।
- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग 1/मध्यम आय वर्ग 2 के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अधीन निर्मित/अर्जित मकानों पर और उस आवासीय परियोजना में, जिसे उसी रियायती दर के अधीन अवसंरचना की हैसियत प्रदान की गई है, 60 वर्ग मी. प्रति मकान के कार्पेट क्षेत्र तक के कम लागत वाले मकानों पर जीएसटी की रियायती दर को विस्तारित किया गया है।

बजट 2017-18 में और उसके बाद प्रत्यक्ष करों पर की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां

- वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये या इससे कम रुपये के टर्नओवर या सकल प्राप्तियों वाली घरेलू कंपनियों पर कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना।
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली करना।
- कम नकदी अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए और डिजिटल माध्यमों से सक्रियता से भुगतान स्वीकार करने के लिए छोटे व्यापारियों/कारोबारों को प्रोत्साहन देने के लिए, अधिनियम की धारा 44 एडी के तहत 8 प्रतिशत की मान्य मौजूदा लाभ दर को वित्त वर्ष 2016-17 और परवर्ती वर्षों के लिए बैंकिंग चैनलों/डिजिटल साधनों के माध्यम से प्राप्त कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियों की राशि के लिए घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।
- यह स्पष्टीकरण देना कि कुछ खास विदेशी संस्थागत निवेशकों और सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बनाए गए सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम के तहत श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रूप में पंजीकृत निवेशकों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरणों के कर निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
- यह स्पष्ट करना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क में उपबंधित 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम निधि (कोर्पस) के मासिक औसत को बनाए रखने की शर्त उस विगत वर्ष के लिए लागू नहीं होगी जिसमें निधि को समाप्त किया जा रहा है।
- अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री राहत निधि के लिए दी गई छूट मुख्यमंत्री की राहत निधि अथवा उपराज्यपाल की राहत निधि के लिए भी प्रदान की गई।
- यह स्पष्टीकरण देना कि धर्मार्थ संस्थाओं को छूट देने के लिए कोर्पस चंदा को आय के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- अधिसूचित की जाने वाली शर्तों के अधीन, किसी करार या व्यवस्था की समाप्ति के बाद भारत में सुविधा से, कच्चे तेल, यदि कुछ हो, के छोड़े गए स्टॉक की बिक्री के निमित्त किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूतया उससे उत्पन्न आय के लिए प्रदत्त कर वसूली से छूट।
- अधिनियम की धारा 12क को संशोधित किया गया जिसके अनुसार किसी ऐसे न्यास अथवा संस्था के लिए, जिसे अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, ऐसे उद्देश्यों को ग्रहण करने अथवा उनमें संशोधित करने पर कि आशोधित उद्देश्य पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, नए पंजीकरण के लिए अनुरोध करना अनिवार्य है।

- छूट वाली न्यासों अथवा संस्थाओं के संबंध में, आयकर के लिए प्रभार्य आय करने वाले व्यक्ति द्वारा नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल करने की अतिरिक्त शर्त का प्रावधान किया गया।
- अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी विवादों को कम करने, करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने के लिए, सुरक्षित बंदरगाह मार्जिनों को उद्योग मानकों के अनुसार करने और सुरक्षित बंदरगाह लेन-देनों के क्षेत्र को वृहद करने के लिए 1 अप्रैल, 2017 से लीन वर्ष के लिए एक नई सुरक्षित बन्दरगाह व्यवस्था अधिसूचित की गई है।
- मास्टर फाइल में बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी प्रलेखन के रखरखाव और प्रस्तुतीकरण के लिए नियमों और प्रत्येक देश की रिपोर्ट को अधिसूचित किया गया था।
- यदि संयुक्त आय एवं उस पर भुगतान किए गए करों की संगणना के लिए संपत्ति को लेखा में लिया गया है तो पूंजी लब्धि प्रयोजन के लिए अर्जन की लागत हेतु परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य।
- ऋण करार के तहत अथवा 30.06.2020 तक विस्तारित दीर्घकालिक अवसंरचना बाँड सहित किसी दीर्घकालिक बाँड के निर्गम के तरीके द्वारा भारत से बाहर के स्रोतों से विदेशी मुद्रा में किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए उधार पर उस कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को देय ब्याज के संबंध में 5 प्रतिशत कर कटौती की निम्न दर का लाभ।
- द्वितीयक धारकों के संबंध में भी किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित बाँड में कमी के समय पूंजी लाभ गणना के लिए रुपए के विनिमय मूल्य की वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- किसी एक अनिवासी भारतीय द्वारा किसी दूसरे अनिवासी भारतीय को भारत के बाहर भारतीय कंपनी द्वारा जारी रुपयांकित बाँड देने के कारण पूंजी परिसंपत्ति के अंतरण को अंतरण नहीं समझा जाएगा।
- सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बाँडों में अंकित किए गए रुपये में निवेश किए गए एफआईआई और क्यूएफआई पर देय ब्याज के संदर्भ में धारित लाभ का पांच प्रतिशत की न्यून दर, अधिसूचित दर की ब्याज-दर से अधिक नहीं होगी। यह दर 30.06.2020 तक लागू होगी।
- हाउसिंग क्षेत्र में तेजी लाने के लिए अचल सम्पत्ति के मामले में दीर्घ अवधि की पूंजीगत लाभ की संगणना के लिए धारण अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है।
- यदि निश्चित शर्तों के अधीन प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2019 से पहले हाउसिंग परियोजना को अनुमोदित किया जाता है, तो निर्धारिती डेवलपिंग और बिल्डिंग संबंधी वहनीय हाउसिंग परियोजना को लाभ में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किए गए लैंड पूलिंग के तहत एकल व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को पूंजीगत लाभ से छूट प्रदान की जाती है।
- पूँजीगत लाभ से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 54ईसी के अधीन बांड निवेश की श्रेणियों का विस्तार किया गया है।
- संयुक्त विकास करार ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के मामले में कर की प्रभार्यता की जटिलताओं को दूर करने के लिए यह उपबंधित किया गया कि पूँजीगत लाभ को, उस वर्ष जिस में परियोजना पूरी की गई है,से पूर्ववर्ती वर्ष की आय के रूप में आयकर पर प्रभारित किया जाएगा।
- उचित बाजार मूल्य और लागत स्फीति सूची के लिए आधार वर्ष को 1981 की जगह 2001 कर दिया गया है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के संबंध में उपलब्ध टैक्स क्रेडिट की अवधि को वर्तमान 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।
- किसी एक कंपनी के एक्विटि शेयरों को उस कंपनी के ईक्विटी शेयरों में बदलने पर टैक्स न्यूट्रीलिटी उपलब्ध करायी गई है।
- टैक्स न्यूट्रल की स्थिति में प्राप्त किसी भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी के अर्जन की लागत को परिणामी विदेशी कंपनी के हाथों में अर्जन की लागत माना जाएगा।
- पात्र स्टार्ट-अप्स द्वारा किए जाने वाले लाभ-सम्बद्ध कटौती के दावे की अवधि को बढ़ाकर 5 में से 3 वर्ष से लेकर 7 में से 3 वर्ष तक कर दिया गया है तथा शेयरधारण में परिवर्तन के मामले में ऐसे स्टार्ट-अप की हानि को अग्रेनीत करने की शर्तों में छूट दी गई।
- अधिनियम की धारा 80छ के अधीन नकद दान की सीमा को कम करके 10,000 रु. से 2,000 रु, कर दिया गया है।
- स्वनियोजित व्यक्ति 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास' में किए गए अंशदान के संबंध में अपनी समग्र कुल आय के 20 प्रतिशत तक की कटौती के लिए पात्र होगा। नई पेंशन स्कीम के अंशदाता द्वारा की गई आंशिक निकासी पर कराधान से छूट प्रदान की गई है।

- अधिनियम की धारा 56 के दायरे को और व्यापक बनाया गया है और इसमें, कतिपय शर्तों एवं अपवादों के अध्यधीन, किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल के साथ प्राप्त की गई किसी भी धनराशि, अचल सम्पत्ति या विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति को भी शामिल किया गया है।
- अधिनियम की धारा 50गक में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के मामले में, यदि प्राप्त किया गया प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम है तो इस प्रकार से विनिर्धारित निष्पक्ष बाजार मूल्य को, पूंजीगत लाभों की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रतिफल का मूल्य माना जाएगा।
- सूचीबद्ध शेयरों के हस्तांतरण के मामले में दीर्घकालिक पूंजी लाभ से छूट प्रदान करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि यह छूट ऐसे शेयरों के मामले तक सीमित है जहाँ इनका अर्जन कतिपय शर्तों के अध्यधीन 1 अक्टूबर, 2004 के बाद किया गया है।
- 5 लाख रुपए तक की आय के स्लैब में आने वाले व्यक्तियों को कर की दरों में कटौती करने की दृष्टि से आयकर में छूट की राशि को कम करके 5000/- रु. से 2,500/- रु. कर दिया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि यह छूट 3.5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगी।
- यदि अधिनियम की धारा 115 जेबी अथवा 115 जेसी के अन्तर्गत भुगतानित कर के लिए विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) की राशि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में मूल्यांकित आय पर देय कर के लिए अनुमेय एफटीसी की राशि से अधिक हो तो ऐसी अतिरिक्त राशि की उपेक्षा अधिनियम की धारा 115जेएए अथवा धारा 115जेडी के अन्तर्गत क्रेडिट राशि की गणना करते समय कर दी जाएगी।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने के लिए अंकित लाभ की गणना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि उन्हें भारतीय लेखांकन मानदण्डों (इंड-एएस) के संगत लाया जा सके।
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंतरण के लिए कर की रियायती दर के संबंध में वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा किए गए संशोधन, निधरिण वर्ष 2013-14 से पश्चगामी प्रभाव से लागू होंगे।
- अधिनियम की धारा 10एए में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि उसमें संदर्भित कटौती की राशि इस धारा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में गणना की गई कुल आय से अनुमत की जाएगी और यह कि कटौती कुल आय से अधिक नहीं होगी।
- समेकित योजना में यूनिट के स्थान पर प्राप्त म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकित योजना की यूनिट के मामले में वास्तविक लागत और धारण की अवधि समेकित योजना में यूनिट की लागत और धारण की अवधि होगी।
- लाभांशों पर कर की देयता के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अधिनियम की धारा 115 बीबीडीए में संशोधन किया गया है।
- नकदी में राजस्व व्यय संबंधी ''बिजनेस अथवा प्रोफेशन के लाभ से आय'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का दावा करने संबंधी अनुमेय सीमा अधिनियम की धारा 40ए में संशोधन करके 20,000/- रु. से 10,000/- रु. कर दिया गया है।
- राजनीतिक दलों को चन्दे के स्रोत में पारदर्शिता लाने के लिए अधिनियम की धारा 12ए में आयकर से छूट के लाभ को प्राप्त करने संबंधी अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए संशोधन किया गया: (क) 2000/- रु. अथवा इससे अधिक का कोई चन्दा बैंक में आहरित एकाउंट पेयी चेक अथवा एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक एकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा इलैक्ट्रोलर बॉड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा; और (ख) अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत देय तारीख को या उससे पूर्व अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4बी) के प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व वर्ष के लिए आय का विवरण राजनीतिक दल प्रस्तुत करेगा।
- 10,000/- रु. से अधिक की नकदी में कोई पूंजी व्यय मूल्य ह्रास के दावे अथवा निवेश लिंक्ड कटौती के दावे को अयोग्य करार देने के लिए अधिनियम की धारा 32 और 35एडी के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
- यह व्यवस्था करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 94बी जोड़ी गई है कि किसी संस्था द्वारा अपने संबद्ध उपक्रमों द्वारा दावित ब्याज व्यय को ब्याज, कर, मूल्य ह्रास और अमोर्टाईजेशन (ईबीआईटीडीए) अथवा भुगतानित अथवा संबद्ध उपक्रम को देय ब्याज से पूर्व इसकी आय के 30 प्रतिशत अथवा जो भी कम हो तक सीमित कर दिया जाएगा। अननुमत ब्याज व्यय को आगे ले जाए जाने की अनुमति उस निर्धारण वर्ष के तत्काल अनुवर्ती 8 निर्धारित वर्षों तक अनुमत किया जाएगा जिसके लिए पहले अनुमति नहीं दी गई थी और अधिकतम अनुमेय ब्याज व्यय की सीमा तक ''व्यवसाय अथवा प्राफेशन के लाभ से आय'' शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति कटौती की गई थी।
- यह व्यवस्था करने के लिए 01 अप्रैल 2018 से अधिनियम में एक नई धारा 92सीई जोड़ी गई है ताकि प्राथमिक अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजन के संगत निधियों का वास्तविक आवंटन करने के लिए सम्बद्ध उपक्रम के पास पड़ी अतिरिक्त धनराशि से होने वाली आय के द्वारा द्वितीयक समायोजन किया जा सके। यह प्रावधान वर्ष 2017-18 से आगे के निर्धारण वर्ष के संबंध में एक करोड़ रुपए से अधिक प्राथमिक समायोजन पर लागू होंगे।

- पैन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 206सीसी जोड़ी गई थी जिसका उद्देश्य पैन (परमानेंट एकाउंट नम्बर) का उल्लेख न करने वाले मामलों में स्रोत पर 20 प्रतिशत की उच्च दर पर कर का संग्रहण किया जा सके।

- अधिनियम में स्रोत पर कटौती के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक नई धारा 194 आईबी जोड़ी गई थी ताकि प्रतिमाह अथवा पूर्व वर्ष के किसी माह के भाग के दौरान 50,000/- रु. से अधिक के किराए के द्वारा किसी मकान मालिक को हुई आय के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत शामिल होने वालों को छोड़कर) ऐसी आय पर कर के रूप में 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती कर सकें।

- 01.04.2017 से धारा 143 (आई.डी.) को हटा दिया गया है। लेकिन संदिग्ध मामलों में राजस्व की वसूली की सूचना के दिए जाने के संबंध में एक नई धारा 241(क) को अंर्तविष्ट किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि कुछ मामलों में उस नीति से धन अदायगी को रोका जाएगा जिस की व्यवस्था कथित धारा में की गई है और ऐसा उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन से किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2017 को अथवा इसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर लागू होगा।

- कोई भी निर्धारती, जो अधिनियम की धारा 44कघक के अन्तर्गत प्रकलिपत कराधान व्यवस्था के अनुसार अपने लाभ और प्राप्तियों की घोषणा करता है, वह अब 15 मार्च को अथवा इससे पहले एक किश्त में अग्रिम कर का भुगतान करेगा। इसके अलावा, ऐसे निर्धारती पर अधिनियम की धारा 234ग के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित किया जाएगा, यदि 15 मार्च को अथवा इससे पूर्व प्रदत्त अग्रिम कर रिटर्न में देय कर से कम है।

- यदि अग्रिम कर के भुगतान में कमी आयकर अव-प्राक्लन अथवा प्राक्कलन में त्रुटि के कारण है, जो अधिनियम की धारा 115 खख घक में निर्दिष्ट स्वरूप की है तो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन अधिनियम की धारा 234ग के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा।

- यह उपबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा 244क में संशोधन किया गया था कि यदि कटौतीकर्ता की ओर कोई भी धन वापसी देय होती है तो वह ऐसी धन वापसी पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

- यह उपबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा 155 में संशोधन किया गया था कि जहां संदत्त विदेशी करों के लिए इस आधार पर संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था कि ऐसे विदेशी कर का भुगतान विवादित था, कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 149(1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर निर्धारण आदेश अथवा सूचना में आशोधन करेगा।

- आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए उन्नत शासन व्यवस्था के लिए प्राधिकरण के विलय को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम के अध्याय XIX-ख में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

- धारा 253 के क्षेत्र में विस्तार देने के लिए, अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) अथवा (v) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों को अपील अधिकरण के समक्ष अपीलीय बनाया गया है।

- धारा 271ग अथवा 271गक के अंतर्गत शास्ति के उदग्रहण के लिए स्रोत पर कर की कटौती और संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन वास्तिविक कठिनाइयों को कम करने के लिए, कथित धारा के संदर्भ की धारा 119(2) (क) के अंतर्गत उपबंध किया गया है, ताकि उक्त धाराओं के संबंध में निर्देश या अनुदेश जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सक्षम बनाया जा सके।

- अधिनियम की धारा 153 और 153ख में वर्णित किए गए मामलों में निर्धारण, पुनर्निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा को कम करने के लिए इन धाराओं के उपबंधों में संशोधन किए गए थे। इसी प्रकार, आशोधित रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय-सीमा को कम करने के लिए धारा 139(5) में संशोधन किया गया था। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 को प्रभावी होंगे और वर्ष 2018-19 और उत्तरवर्ती वर्षों के कर निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

- 2 लाख या इससे अधिक की नकद राशि की प्राप्ति को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम में नई धारा 269 एसटी अंतर्विष्ट की गई थी।

- फर्जी/बहु पेन (स्थायी लेखा संख्या) की समस्या के निवारण के लिए, अधिनियम में एक नई धारा 139कक अंतर्विष्ट की गई थी, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ आधार और पेन (स्थायी लेखा खाता संख्या) डाटा बेस के साथ संयोजन को अनिवार्य बनाती है।

- सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए सामान्य आवेदन फॉर्म के माध्यम से पेन और टेन (PAN और TAN) के आवंटन को सक्षम बनाने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114 और नियम 115 संशोधित किए गए हैं।

- आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिक उद्देश्यपरक और करदाताओं के लिए सरल बनाने के लिए युक्तियुक्त बनाया गया है। वेतन से 50 लाख रु. तक की आय वाले तथा जिनके पास एक ही गृह संपत्ति है, करदाताओं के लिए वर्ष 2017-18 के करनिर्धारण के लिए एक पृष्ठ का आईटी आर-1 (सहज) अधिसूचित किया गया है।

परिशिष्ट-2

सीपीएसईएस में निवेश प्रबंधन के सम्बंध में नीतिगत पहलें

- वर्तमान में सरकार का मुख्य जोर, सतत् दीर्घकालिक नीतियों तथा साथ-ही संसाधनों के दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी नियतन के माध्यम से उच्चतर आर्थिक विकास की प्राप्ति पर समग्र फोकस के साथ, सीपीएसई में इसके निवेश के दक्षतापूर्ण प्रबंधन पर है।

- इस सिद्धान्त के आधार पर, वर्ष 2016-17 के बजट में सीपीएसई के संदर्भ में 'विनिवेश आधारित दृष्टिकोण' को छोड़कर 'निवेश आधारित दृष्टिकाण' अपनाने पर बल दिया गया है। तदनुसार, विस्तारित अधिदेश के साथ 'डीआईपीएएम' के रूप में विभाग का पुन:नामकरण सीपीएसई में सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु सरकार की कार्यनीति पर इसकी विचार-प्रक्रिया में एक निदर्शातमक बदलाव को रेखांकित करता है।

- घोषणा के अनुसार, विभाग ने विभिन्न पहलुओं, जैसेकि लाभांश का भुगतान, शेयरों की पुन:खरीद, बोनस शेयरों के मुद्दे और शेयरों का विभाजन, आदि का समाधान करते हुए, सीपीएसई में सरकारी निवेश के दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु, मई, 2016 में 'सीपीएसई की पूंजीगत पुनर्रचना' पर व्यापक दिशानिर्देश भी विहित किए हैं।

- एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सीपीएसई के सूचीकरण (लिस्टिंग) से संबंधित प्रतिबद्धता पर फोकस किया गया है जोकि सरकार द्वारा जारी सुधार पहलूओं का एक अनिवार्य अंग है। सरकार ने बजट 20117-18 में इससे संबंधित घोषणाएं की हैं। सरकार ने इस घोषणा के अनुसरण में दिनांक 17 फरवरी, 2017 को सीपी एसई की सूचीकरण (लिस्टिंग) के लिए एक तंत्र/प्रक्रिया सामने रखी है जिसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों से समय-सीमा प्रक्रिया का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है जिसका उद्देश्य वर्तमान अधिनियम नियमों एवं विनियमों के अनुसार चिन्हित सीपी एसई का समयबद्ध तरीके से सूचीकरण (लिस्टिंग) करना है।

- सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंज में 14 सीपी एसई (2 बीमा कम्पनियों सहित) के सूचीकरण को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 4 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को सफलतापूर्वक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है।

- सीपीएसई ''माइनोरिटी स्टेक सेल'' (49% तक) के माध्यम से सरकारी शेयर होल्डिंग का विनिवेश करते समय पोस्ट लिस्टिंग मौजूदा नीति के अनुसार की गई है। कंपनी में दक्षता और प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक उपक्रमों के लिए आर्थिक संभावनाओं के अवसरों को बढ़ाने के लिए गैर रणनीतिक व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए सरकार का रणनीतिक विनिवेश संबंधी ध्यान राजकीय दृष्टिकोण अपनाने का है।

- इसके अंतर्निहित लाभों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2017 के प्रारंभ में भारत सरकार ने भारत में पेंशन निधियों और रिटेल निवेशकों को सीपी एसई में निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए ईटीएफ पर आधारित सूचकांक का प्रयोग प्रारंभ किया था और इस संबंध में बजट में की गई घोषणा का अनुपालन करते हुए अगस्त 2017 में भारत 22 नाम के एक नए ईटीएफ की घोषणा की गई थी। नवंबर 2017 में शुरू किए गए भारत 22 के नई निधि पेशकश में पूंजी निवेशकों के सभी वर्गों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और सरकार ने पेशकश के ईश्यू आकार में वृद्धि करके ओवरसब्सक्रिप्शन के अंश को रोकर रख लिया है।